प्रेस नोट दिनांक 29.05.2025

थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

□थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा जंगल के रास्ते वध हेतु बिहार ले जा रहे 23 राशि गोवंशों की बरामदगी करते हुए 02 शातिर गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे द्वारा गोतस्करी के विरूद्ध चलाये गये अभियान के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में दिनांक 28.05.2025 को 18.00 बजे थानाध्यक्ष चकरघट्टा भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना के आधार पर जमसोत जंगल के रास्ते वध हेतु बिहार ले जा रहे 23 राशि गोवंशो की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो की पहचान 1 जंगली यादव पुत्र राममूरत यादव निवासी ग्राम करकटगढ पोस्ट बढौना थाना चैनपुर जनपद भभुआ बिहार उम्र करीब 22 वर्ष 2. लाल साहब यादव पुत्र जवाहिर यादव निवासी ग्राम चकरघट्टा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 28 वर्ष के रूप मे हुयी।

पूछताछ मे दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रो से सस्ते दामों पर गोवंशो को खरीदकर एकत्रित कर जंगल के रास्ते गहिला, शाहपुर, जमसोत के रास्ते होते हुये झरिया थाना चैनपुर जिला भभुआ कैमूर बिहार ले जाकर बेच देते हैं जहाँ पर ऊंचे दामों मे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते है।
बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर स्थानीय पर मु0अ0सं0 24/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

(i) जंगली यादव पुत्र राममूरत यादव निवासी ग्राम करकटगढ पोस्ट बढौना थाना चैनपुर जनपद भभुआ बिहार उम्र करीब 22 वर्ष

(ii). लाल साहब यादव पुत्र जवाहिर यादव निवासी ग्राम चकरघट्टा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण- 23 राशि गोवंश

गिरफ्तारी का दिनांक व समय- दिनांक 28.05.2025 समय 18.00 बजे स्थान जमसोत का जंगल

बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा चन्दौली

2.हे0का0 अजीत कुमार यादव थाना चकरघट्टा चन्दौली

3.हे0का0 रमेश कुमार थाना चकरघट्टा चन्दौली

4.का0 बसन्त कुमार थाना चकरघट्टा चन्दौली

5.का0 शैलेन्द्र यादव थाना चकरघट्टा चन्दौली

थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

थाना सकलडीहा पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर पचास लाख की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) एंव क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सकलडीहा हरिनारायण पटेल के नेतृत्व में थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-206/2024 धारा 419/420/467/468/471/120B भादवि के मुख्य अभियुक्त प्रशान्त कुमार वर्मा पुत्र सुशील चन्द्र वर्मा निवासी राजेन्द्र नगर LIC कालोनी नं0-13 मकान नं0-37 थाना पत्रकार नगर कंकड़ बाग पटना जिला पटना बिहार को आज दिनांक 29.05.2025 को समय 08.15 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त अपने दोस्तों से मिलने के लिए ग्राम देवरापुर के पास नहर पुलिया के पास इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा ग्राम देवरापुर(जमुरना) सकलडीहा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मनीष यादव पुत्र कल्पू यादव निवासी ग्राम देवरापुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली व उसके अन्य तीन साथियो से वर्ष 2022-23 में अभियुक्तों द्वारा बिहार में न्यायालय व अन्य विभागो में नौकरी लगवाने के लिए 29 लाख रुपये आनलाईन ट्रान्सफर करवाना व 21 लाख रुपये नगद लेकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर व कूट रचित सर्विस बुक जारी करके धोखाधडी करना।

अभियुक्त नाम पता विवरण-

प्रशान्त कुमार वर्मा पुत्र स्व0 सुशील चन्द्र वर्मा निवासी राजेन्द्र नगर LIC कालोनी नं0-13 मकान नं0-37 थाना पत्रकार नगर कंकड़ बाग पटना जिला पटना बिहार उम्र 65 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.निरी0 हरिनारायण पटेल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 जनक सिंह चौकी प्रभारी डेढावल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

3.हे0का0 प्रबुद्ध कुमार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

4.का0 अभिषेक सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली